

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला (राज.)

क्रमांक- शे/19

दिनांक- 08.06.2023

:: संशोधित कार्यालय आदेश ::

मैं श्रीमती अलका जोशी, (अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाडशहर) लिक अधिकारी- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 14 सपठित धारा 15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के द्वारा पूर्व में जारी माह जून, 2023 की रिमाण्ड ड्यूटी आदेश शे./16 दिनांक 16.05.2023 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 10.06.2023 राजकीय अवकाश को जाधपुर जिला न्यायक्षेत्र में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य यथा प्रोटोकॉल आदि के लिए इस कार्यालय आदेश के जरिये कॉलम संख्या (2) में अंकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या (4) में अंकित अवकाश की तिथि को एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्यदिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्वर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक अपने मुख्यालय पर रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है तो संबंधित अधिकारी को मुख्यालय पर ही रहकर कोविड-19 महामारी से बचाव के संबंधित मानक प्रोटोकॉल को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए अधिकृत करती हूँ।

(1) कम संख्या	(2) नाम अधिकारी	(3) पद नाम	(4) दिनांक
1	श्रीमती हुमा कोहरी	न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ।	10.06.2023

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई पीटासीन अधिकारी, जिन्हें उक्त अवकाश के दिवसों का उक्तानुसार आवश्यक कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है, किन्तु वह अपने मुख्यालय पर (उपाजित / अर्द्धवेतनिक / रूपान्तरित अवकाश के अतिरिक्त) उपलब्ध है, तो उनको द्वारा उस मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के उक्तानुसार ही आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादित किये जावेंगे। यह और भी, निर्देशित किया जाता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए अभिकथित आरोपी / आरोपीगण के रिमाण्ड बाबत उक्त अधिकृत पीटासीन अधिकारी विधिनुसार आदेश पारित करेंगे। साथ ही एन.डी.पी.एस. प्रकरणों के रिमाण्ड के संबंध में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जाधपुर जिला के आदेश क्रमांक स्था0/2022/1090-1104 दिनांक 12.04.2022 के अनुसार आदेश पारित करेंगे।

नोट- यह आदेश दिनांक 10.06.2023 के राजकीय अवकाश के लिए ही प्रभावी है।

— S O —
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला।

क्रमांक :- 225

दिनांक - 9.6.23

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला।
2. श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो, जोधपुर जिला।
3. श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला / फलोदी / बिलाडा (जरिये E-mail)
4. श्रीयुत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाडा / फलोदी - संख्या 1 व 2 / पीपाडशहर / बालेसर / औसिया (जरिये E-mail)
5. श्रीयुत न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला / पीपाडशहर / बालेसर / फलोदी / बाप / लोहावट / भोपालगढ / बिलाडा / ग्राम न्यायालय औसिया (जरिये E-mail)
6. श्रीयुत जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर (ग्रामीण) को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करावे। (जरिये E-mail)
7. जिला आवकारी अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक / प्रहराधिकारी / भारसाधक अधिकारी, आवकारी थाना को सूचित करावे। (जरिये E-mail)
8. सहायक निदेशक, अभियोजन जोधपुर।
9. सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, जिला न्यायालय, जोधपुर जिला को प्रेषित कर लेख है कि वह उक्त आदेश को जिला न्यायालय की website पर upload करे।
10. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जोधपुर जिला स्थान
8/6/23